(b) whether inspite of these facts the situation in the valley continues to be serious and terrorist activities escalating; and

(c) whether it is due to lack of proper guidelines issued to security personnel to deal with terrorists and if not, what are the reasons for delay in fully controlling the situation in the State?

THE MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI BHUVNESH CHATURVEDI): (a) to (c) Sustained pressure and intensive operations against militants have been continued by the Security Forces deployed on internal security duties in Jammu and Kashmir. As a result of this and various other measures taken by the Government to restore normal conditions and revive the normal activities of the Administration and the people, there is demoralisation and disarray in the ranks of the militants, and a perceptible change in the mood and attitude of the people. In the wake of these developments, it is being observed that Pakistan in its bid to try and keep up violence in the State, is increasingly taking resort to infiltration of foreign nationals/mercenaries, though it is not possible to indicate the precise number of such elements in the State. The increasing resort to sneak attacks on soft targets, abductions and kidnappings, explosions in market places and hit and run incidents of grenade attacks and random firing etc., also show the desperation of the terrorists who are under severe pressure from the security forces and are losing ground.

The security situation is being reviewed regularly, and steps as may be necessary to further intensify and streamline the operations are being taken on a continuing basis. As a result, there is a distinct qualitative improvement in the overall security situation in the State. Government will continue to pursue its efforts in this direction intensively.

रेल दुर्घटनाएं

1068. **श्री राम देव भंडारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत छः महीनों के दौरान देशभर में हुई रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में की गई जांच-पड़ताल से इन दुर्घटनाओं के संबंध में किन-किन मुख्य कारणों का पता चला है; और

(ग) सरकार ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश कलमाडी): (क) मई '95 तक अक्तूबर '95 तक की छः माह की अवधि के दौरान 190 रेल दुर्घटनाएं हुई थीं जिनमें गाड़ियों के आपस में टकराने की 12, पटरी से उतरने की 151 घटनाएं, पैदल समपारों पर 24 दुर्घटनाएं और गाड़ी में आग लगने के 3 मामले शामिल हैं।

(ख) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण रेल कर्मचारियों की विफलता, रेल कर्मचारियों से इतर व्यक्तियों की विफलता, उपस्करों की विफलता और तोड़-फोड़ थे।

(ग) रेलें गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

रेलों पर संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिसंपत्तियों का बेहतर अनुरक्षण और संरक्षा उपकरणों का उपयोग अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। संरक्षा मानकों में सुधार करने के लिए रेलों द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई है:

1. सभी ट्रंक मार्गों और मुख्य लाइन स्टेशनों पर रेलपथ परिपथन का अग्रता से निष्पादन।

2. आगे जाने वाली गाड़ी के लिए स्टार्टर और अग्रिम स्टार्टर सिगनल के पीछे हटने तक स्लाट दिए जाने को रोकने के लिए सिगनल परिपथन में परिवर्तन को वापस पुरानी दशा में लाया गया है।

3. स्टेशन कर्मचारियों, चलती गाड़ियों के चालक और गार्ड के बीच एक संचार सुविधा की व्यवस्था की जाएगी।

4. रेलपथ संरचना को सुदृढ़ किया गया है। फिश प्लेटों को हटा कर और पटरियों की झलाई करके उन्हें झलाईयुक्त लंबे पैनलों में बदला गया है।

5. रेलपथ ज्यामिती और रेलपथ की चालन विशेषताओं की निगरानी करने के लिए, अत्याधुनिक रेलपथ अभिलेखी यानों, दोलनलेखी यानों और सुवाह्य स्वरणमापी यंत्रों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।

6. चल-स्टाक की स्थिति में सुधार किया गया है। चौपहिया माल-डिब्बों को बेहतर बोगी वात-ब्रेक स्टाक में बदला जा रहा है।

7. धुरों के अपने आप टूटे जाने के मामले की रोकथाम के लिए धुरों में उत्पन्न होने वाले दोष के मामलों को समय से ढूंढ निकालने के लिए सभी नेमी ओवरहालिंग डिपुओं में पराध्वनिक जांच उपस्कर लगाए गए हैं।

8. कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर प्रोजेक्टर, स्लाइडों, दुर्घटना के मामलों का अध्ययन और उन पर परिचर्चा जैसी बेहतर प्रशिक्षण जुटा कर और बल दिया गया है।

9. चालकों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर संस्थापित किए गए हैं। कानपुर और तुगलकाबाद में एक-एक सिमुलेटर कार्य कर रहा है। दो अन्य आस्ट्रेलिया से आयात किए जा रहे हैं।

10. चलती गाड़ी के चालक को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने तथा यदि वह चालक पूर्व-निर्धारित समयावधि के भीतर उत्तर न दे तो गाड़ी को रोक देने के लिए 'सहायक चेतावनी प्रणाली' पहले ही बंबई के उपनगरीय खंडों पर चालू कर दी गई है।

11. आरक्षित सवारी डिब्बों में अनधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जाने वाले यात्रियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए कतिपय नामित गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों का गठन किया गया है।

12. निरीक्षणों और अचानक जांचों की बारंबारता बढ़ा दी गई है। और संरक्षा अभियान आरंभ किए गए हैं।

Review of prevention of Food Adulteration Act

1069. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government have decided to constitute a Committee of experts to review the framework of laws governing Prevention of Food Adulteration Act;

(b) the criteria to be adopted for electing Chairman/members of the Committee and the issues to be covered by it; and

(c) the time by which the committee is likely to submit its report so as to enable Government to make changes in the existing act which has outlived its utility?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY) (a) and (b) A Task force consisting of eminent jurists, legal and technical experts to be coordinated by the Confederation of Indian Food Trade and Industry (CIFTI) was set up to review the framework of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules in the context of present day needs.

(c) No time frame has been fixed for submitting the report.

Withdrawal of financial powers from General Managers of Zonal Railways

1070. SHRI PRAMOD MAHAJAN: SHRI VIREN J. SHAH:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the financial powers of the General Managers of all Zonal Railways and production units to decide tenders upto Rs. 5 crores have recently been withdrawn/curtailed;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor;

(c) what are the details of existing limits of financial powers vested with General Managers, Advisors, Members of the Railway Board and the Minister